उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या – 03/2018

आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि० बनाम् अरूण कुमार सिंह एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
12-09-2018	– आदेश –	

अभिलेख उपस्थापित। पुकार करने पर अपीलार्थी अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्राधिकृत पदाधिकारी, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि०, क्षेत्रीय कार्यालय तीसरा तल्ला, शांति निकेतन भवन, मेन रोड, बिस्टुपुर, जमशेदपुर–831001, झारखण्ड द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद दायर करने की अगली तिथि से अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिससे प्रतीत् होता है कि अपीलर्थी की रूचि उक्त दायर वाद में नहीं हैं। अतः अपीलार्थी की उदासीनता को देखते हुए प्रवृष्टि के बिन्दु पर ही अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

12/9/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

12/9/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

Scanned by CamScanner